#### Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

FORM 21C (See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the legislative Assembly of Rajasthan from

## 15 - Kolayat Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the representation of the people Act, 1951, read with rules 64 of the Conduct of Election Rules 1961, I declare that

Shri Bhanwar Singh Bhati

VPO-Hadan,

Teh.-Kolayat, Distt.- Bikaner

sponsored by *Indian National Congress* (name of the recognized / registered political party) has been duly elected to fill the seat in that house from the above constituency.

Place :- Bikaner

Date :- 11-12-18

(RATAN KUMAR)

Returning Officer, Kolayat(15), Assembly Constituency

> रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र (015 कोलायत एवं उपखण्ड मृजिस्ट्रेट कोलायत

### निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

# 15—कोलायत विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि —

#### श्री भंवर सिंह भाटी

गांव व पोस्ट-हदां तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर

इंडियन नेशनल काँग्रेस से खड़े हुए / किए गए है

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचत हो गए हैं।

स्थान :- बीकानेर

तारीख :- 11-12-2018

24

(रतन कुमार) रिटर्निंग ऑफिसर कोलायत (015) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

रिटानिंग अधिकारी विधानसमा क्षेत्र (015) कोलायस एवं उपखण्ड महिनस्ट्रेट कोलायस